

विद्युत सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिंग
(उ०प्र० सरकार का उपकरण)
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)
विमूर्ति खण्ड, फेज-२, गोमती नगर
लखनऊ-२२६०१०
CIN : U32201UP1999SGCO24928


विज्ञापन सं० 12/VSA/2022/AO

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग हेतु लेखा संवर्ग में समूह 'ख' के अन्तर्गत "लेखा अधिकारी" के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	ई०डब्ल०एस०	अन्य पिछङ्गा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	17	लेखा अधिकारी (ACCOUNTS OFFICER)	07	01	03	04	00

- ❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग के पास सुरक्षित है।
- ❖ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमात्रा फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- ❖ उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमत्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न पालियों के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-१ के अनुसार Normalisation method श्रेष्ठता-निर्धारण में प्रयुक्त होगा।
- ❖ केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक श्रेणी के उपकरण की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं है।

1. **वेतनमान:-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-१० में वेतनमान रु० ५६१००-१७७५०० एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग में लागू नियमानुसार देय होंगे।
2. **अनिवार्य रैक्षिक एवं अन्य अहंतायें:-** आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अहंताओं का पूर्ण धारित होना आवश्यक है।
 - (क) देवनागरी लिपि में हिन्दी का समुचित सम्यक ज्ञान।
 - (ख) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली से चार्टर्ड एकाउंटेन्ट/इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क एकाउंटेन्ट्स आफ इंडिया, कोलकाता से कास्ट एकाउंटेन्ट की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण।
 - (ग) वरीयमान योग्यता - किसी बड़े प्रतिष्ठित निजी औद्योगिक संस्थान/पब्लिक अण्डरटेकिंग विशेषकर विद्युत/टेलीकाम सेक्टर या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के वित्त/लेखा/ऑडिट शाखा में कार्य करने का अनुभव।
3. **आयु :** दिनांक ०१.०१.२०२२ को न्यूनतम २१ वर्ष एवं अधिकतम ४० वर्ष।
4. **अधिकतम आयु सीमा में अनुमत्य छूट :** अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछङ्गा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु में ५ वर्ष की छूट अनुमत्य है।
5. **आरक्षण :-** आरक्षण के सम्बन्ध में उ०प्र०शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उ०प्र० के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमत्य होगा।



नोट:- नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

6. **आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज़:** आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज़ अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 826/- प्रति आवेदन (जी०एस०टी० सहित)
2.	उत्तर प्रदेश के सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नान-क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1180/- प्रति आवेदन (जी०एस०टी० सहित)
3.	अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1180/- प्रति आवेदन (जी०एस०टी० सहित)

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज़ नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/Payment Gateway अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेज़ अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज़ के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

7. **अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण:-** अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उसे लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थी को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई०डब्लू०एस०)प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र (जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र से मिलान के पश्चात् जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्टेड आमत्रित अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जॉच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मस्थिति, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थी का साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। अभिलेखों के जॉच के समय नवीनतम निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान-क्रीमीलेयर) (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्लू०एस०) प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है) प्रस्तुत करना होगा।

8. **अनापत्ति प्रमाण पत्र :-** यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

9. **राष्ट्रीयता:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफीकी देश के निया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीवार) से प्रवर्जन (Migrate) किया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।



- 10. स्वस्थता प्रमाण पत्रः**—प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 11. चरित्र :** अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 12. वैवाहिक स्थिति :** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विधि—विरुद्ध एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अहं नहीं होंगे।
- 13. चयन प्रक्रियालिखित परीक्षा** एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनका अस्वर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में अन्तिम कमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग की श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों की संख्यानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी।

लिखित परीक्षा की अवधि एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :-


पद का नाम	लिखित परीक्षा (अवधि—3 घंटे)	अंकों का विवरण
लेखा अधिकारी	200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न—200 अंक (प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर 0.25 अंक अतिरिक्त काटे जायेंगे।)	1) 200 अंक लिखित परीक्षा 2) 25 अंक साक्षात्कार

नोट: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से श्रेणीवार रिक्तियों के दो गुने अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

- 14. परीक्षा स्थानः**—परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होंगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
- 15. आवेदन कैसे करें:** कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब “APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. ‘12/VSA/2022/AO’ FOR THE POST OF ACCOUNTS OFFICER” पर विलक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर “How to Apply” पर विलक कर प्रक्रिया को भली-भौति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई—मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल निर्णत होने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- 16. प्रवेश पत्र :** लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा, तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई—मेल एवं SMS पर प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

17. अन्य विशेष सूचना :

- (1) अनिवार्य अहता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (2) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अहं नहीं हैं।
- (3) सभी प्रासंगिक अहताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा एक—एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित न करते हुए अस्वर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (4) अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अहता पूर्ण न पायें जाने पर अस्वर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है।
- (5) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु ई—मेल helpdesk1122ao@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त



विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

18

पारदर्शिता:— परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:—

लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 03 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा (CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्टेड सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पांस शीट अपने लागिन आईडी⁰ एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा जिसे आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

20.


महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्रमांक	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	20.12.2022 से 10.01.2023
2	नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ—	20.12.2022 से 10.01.2023
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 10.01.2023)—	20.12.2022 से 12.01.2023
4	ऑनलाइन(CBT)परीक्षा की सम्भावित अवधि	फरवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह

— सचिव

पत्रांक: २३३३ / विसेआ / १२-२०२२/AO

दिनांक: ०५/१२, २०२२



Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$X_n = \frac{S_2}{S_1} * (X - X_{av}) + Y_{av}$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S1	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
X	Raw score of a candidate
Xav	Simple average of the candidate Shift
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

